(59)

माननीय मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर

प्र. क्र. अनूपपुर/ /भू–रा/नि/2017/

II/निगरानी/अनूपपुर/भू-रा/2017/4343 जिया लाल पटेल पुत्र श्री रामसहाय

निवासी दुलहरा जिला अनूपपुर

........निगरानीकर्ता/अनावेदक

श्री राजेन्द्र जैन एडवो. द्वारा आज दि. 10-11-17 को प्रस्तुत 10-11-17. क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर पं०दि० 14-11-17

विरुद्ध

1 मालती देवी अत्मज सुन्दर लाल पटेल निवासी दुलहरा तहसील व जिला अनूपपुर

...अपीलार्थी/अनावेदक

2 डमनी बाई पटेल पिता रामकिशोर निवासी पिपरिया

3 सकुनतला बाई पटेल पिता रामकिशोर

4 होरिल पटेल पिता रामकिशोर

5 हेतराम पटेल पिता रामकिशोर

6 ललिया बाई पेटल पिता रामकिशोर

7 तुलसीबाई पटेल प्रेमदास पटेल निवासीगण ग्राम दुलहरा जिला अनूपपुर

8 उदय पटेल पिता प्रेमदास निवासी पिपरिया

9 सुघरी बाई पटेल पिता रामलखन निवासी दुलहरा

10 लल्ली बाई पटेल पिता रामलखन निवासी अनूपपुर

(3)

11 कमलेश पटेल पिता रामलखन
निवासी दुलहरा

12 मुन्नी बाई पटेल पिता रामलखन
निवासी चिल्हारी

13 संत लाल पटेल पिता रामलखन

14 मकरंद पटेल पिता रामसहाय

15 कृष्ण पटेल पिता रामसहोदर

16 कला बाई पटेल पिता रामसहोदर
निवासीगण दुलहरा जिला अनूपपुर

..........रेस्पोंडेटस/अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश प्र0 क्र0 217/अपील/2015–16 दिनांकी 16/10/2017 एवं 28/10/2017 द्वारा पारित अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर

श्रीमान महोदय,

निगरानीकर्ता/अनावेदक की ओर से निगरानी निम्न अनुसार प्रस्तुत है–

प्रकरण के तथ्य–

1 यहकि, निगरानीकर्ता सहित अनावेदक क0 2 लगायत 16 की ओर से तहसीलदार अनूपपुर के समक्ष आराजी खसरा क0 307 रकवा 0.073 एकड के साथ अन्य आराजीयो के संबंध मे रिकार्ड सुधार हेतु आवेदन पंत्र प्रस्तुत किया था जो तहसीलदार के यहा प्रकरण क0 42/अ–6/2000–01 पर दर्ज हुआ।

2 यहकि, तहसीलदार अनूपपुर द्वारा उपरोक्त प्रकरण को सुनवाई के

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक दो/निगरानी/अनूपपुर/भू.रा./2017/4343 जिथा लाल विरूद्ध मालती

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर के प्रकरण क्रमांक 217/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 16-10-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 10-11-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर अनूपपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

13/02/19

के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर अनूपपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 11-04-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 13/02/19
सदस्य